FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा— पत्थरगढी नं. .....12..... सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
14.2.23	प्रार्थी की ओर से वकील श्री ....नरेन्द्र कुमार मेहता.... ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एव नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा.....पराना..... पटवार मण्डल ....करसाना.... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ....367/3.... रकबा 0.6500 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 1000/— अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति मे बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा .....पराना..... पटवार मण्डल.....करसाना..... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर .....367/3..... रकबा 0.6500 है0 .... रकबा.....0.6500..... है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकम्मल तौर पर की जावें। पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक .....28/4/23..... तक [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत [illegible] संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2023.03.15 18:21:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner